डीजी परिपत्र संख्या - 47/2016

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः अगस्त 3 ,2016

विषयः- घुमक्कड़/कच्छा बनियानधारी अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

परिपत्र संख्या : 67/07 दिनांक 20.08.2007
परिपत्र संख्या : 01/10 दिनांक 15.01.2010
परिपत्र संख्या : 12/11 दिनांक 28.05.2011

कृपया अवगत हों कि विगत दिनों में पेशेवर घुमक्कड़/कच्छा बनियानधारी अपराधियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डकैती, लूट एवं गैंगरेप की कई जघन्य अपराध कारित किये गये है। इस प्रकार की सनसनीखेज एवं जघन्य घटनाओं से जनमानस में असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है तथा पुलिस के प्रति जनाक्रोश पनपता है। इस प्रकार के अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत कर समय-समय इस मुख्यालय स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रों का गम्भीरतापूर्वक अनुपालन नहीं कराया जा रहा है। फलस्वरूप इस प्रकार के अपराधों में विगत में वृद्धि परिलक्षित हुई है। घुमक्कड़/कच्छा बनियानधारी अपराधियों द्वारा किये जा रहे अपराधों की रोकथाम हेतु पुनः निम्नांकित निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं, ताकि इनका अनुपालन सुनिश्चित कराकर इस प्रकार के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेः-

- घुमक्कड़/कच्छा बनियानधारी अपराधियों की गतिविधियां **प्रायः बरसात के मौसम में एवं जाड़े के मौसम में शुक्ल पक्ष की रात्रि में बढ़ जाती है**। अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि इन मौसमों में **रात्रिकालीन गस्त को और अधिक सुदृढ़ किया जाये। विशेष रूप से शहर के बाहरी हिस्सों एवं ऐसे रिहायसी इलाके, जहाँ कम घनी आबादी हो, को इन गैंग द्वारा चिन्हित कर बारदात की जाती है। अतः ऐसे इलाकों में रात्रिकालीन पुलिस गस्त की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।** रात्रिकालीन गस्त में प्रायः पुलिस कर्मी सुबह होने से पहले सुस्त हो जाते हैं अथवा अपने गस्त के इलाके को छोड़कर थानों पर वापस चले आते हैं। यह सुनिश्चित कराया जाये कि इस अवधि में भी गस्त की व्यवस्था में कोई ढील न आने पाये।
- **प्रति दिन जनपद के प्रत्येक थानें में रात्रि में एक अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जाये** कि वह गस्त व्यवस्था का मूल्यांकन/समीक्षा एवं चेकिंग सुनिश्चित करेंगे। गस्त में पैदल, मोटर साइकिल एवं चार पहिया वाहन का उपयोग किया जाये।
- ऐसे गैंगों के सदस्यों/अपराधियों के ठहरने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। यह प्रायः शहर/कस्बों के बाहरी इलाकों, रेलवे लाइन, सड़कों के आस-पास, नदी-नालों अथवा तालाबों के किनारे अस्थायी आवास बनाकर अनाधिकृत रूप से रहते हैं। इनके ऐसे अस्थायी डेरों की चेकिंग करायी जाये। आवश्यकता हो तो इन्हें इन स्थानों से अन्यत्र जाने हेतु बाध्य किया जाये।
- ऐसे अपराधी वारदात करने के पश्चात् प्रायः जनपद की सीमा से पलायन करने हेतु **रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, बस स्टेशन अथवा कच्चे-पक्के मार्गों का प्रयोग करते हैं। इन मार्गों की सतत् चेकिंग**

एवं घटना होने के पश्चात् इन मार्गो को अवरूद्ध करके वहॉ आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों अथवा वाहनों की चेकिंग सुनिश्चित करायी जाये।

- ऐसे अपराधी कई बार घटनास्थल से 03-04 किलोमीटर की दूरी पर अपने वाहन खड़े कर जाते हैं, ताकि इस वाहन का प्रयोग वारदात करने के पश्चात् जनपद से भागने में किया जा सके। अतः सुनसान इलाकों में खड़े लावारिश वाहनों की चेकिंग अवश्य की जाये। घटना होने के पश्चात् जनपद की सीमा को सील करके ऐसे वाहनों को जनपद के बाहर न निकलने देने का प्रयास किया जाये।
- विगत दिनों कुछ घटनाओं में **ऐसे गिरोह द्वारा सरिया-डण्डों के अतिरिक्त आग्नेयास्त्रों का भी प्रयोग किया गया हैं।** यह आग्नेयास्त्रों को वाहनों में विशेष रूप से बनाये गये गोपनीय स्थान पर छिपाकर रखते हैं। ऐसे वाहनो की चेकिंग करने के समय आग्नेयास्त्र छिपाने की जगह का पता लगाने का प्रयास किया जाये तथा आग्नेयास्त्र जब्त किया जाये।
- **जनपद स्तर पर पेशेवर घुमक्कड़/कच्छा बनियानधारी अपराधियों की एक सूची तैयार कर ली जाये।** ऐसे अपराधी जो गिरफ्तार/हाजिर अदालत हुए हों अथवा जो इस प्रकार के अपराधों में प्रकाश में आये हों, उनकी वर्तमान स्थिति/क्रिया-कलापों की छानबीन कर ली जाये। यदि वह जमानत पर हों, तो **उनके जमानतदारों का भौतिक सत्यापन किया जाये।** यदि जमानतदारों के नाम-पता गलत पाये जायें, तो ऐसे अपराधियों की जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही की जाये। इसी प्रकार जो जमानतदार बार-बार इन अपराधियों की जमानत लेते रहते हैं, उनके विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही करायी जाये।
- इस प्रकार के घुमक्कड़/कच्छा बनियानधारी अपराधियों द्वारा किये गये गम्भीर प्रकृति के अपराधों में जमानत का विरोध गम्भीरता से किया जाये। माननीय न्यायालयों से यह भी अनुरोध किया जाये कि रू0 20,000/- से अधिक धनराशि के जमानतदारों का सत्यापन एवं पता सकूनत तस्दीक कराने के पश्चात् ही रिहाई आदेश निर्गत किया जाये।
- **इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों की फोटो एवं सही नाम पते ज्ञात कर डाटा सुरक्षित एवं अद्यावधिक रखा जाये,** ताकि इस प्रकार की घटना होने पर इनका उपयोग कर अपराधियों की पहचान कराने हेतु की जा सके। इस हेतु सी0सी0टी0एन0एस0 में फोटो अपलोड करने हेतु दिये गये प्रावधान का उपयोग किया जाये।
- इस प्रकार के अपराधियों के फिंगर प्रिण्ट सी.आर.पी.सी. के धारा-311(A) के अन्तर्गत कार्यवाही कर प्राप्त किया जाये एवं इनका एक डेटाबेस तैयार कर अद्यावधिक रखा जाये, ताकि भविष्य में विवेचना के दौरान इनका उपयोग किया जा सके।
- इस प्रकार के गिरोहों एवं उनके सदस्यों की गैंगचार्ट तैयार कर उनके विरूद्ध गैगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कराना भी सुनिश्चित किया जाये। इन अपराधियों के हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्यवाही भी की जाये, ताकि इनकी निगरानी सतत् रूप से हो सके।
- **इस प्रकार के गिरोहों के सदस्य प्रायः घटना करने से पूर्व होटलों, ढाबों व शराब की दुकानों के आस-पास शराब का सेवन करते हैं। अतः रात्रि में शराब के ठेकों, ढाबों इत्यादि के पास भी संदिग्धों की चेकिंग की जाये।**

- **प्रत्येक जनपद के अभिसूचना ईकाई में नियुक्त कर्मियों को इस प्रकार के अपराधियों के विषय में अभिसूचना संकलित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।**
- प्रत्येक जनपद के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन इत्यादि स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की चेकिंग कराकर प्रभावी अंकुश लगाया जाये। **जी0आर0पी0 के अधिकारियों से भी इस सम्बन्ध में समन्वय कर कार्यवाही की जाये।**
- **इन घुमक्कड़/कच्छा बनियानधारी अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के एक अधिकारी को जनपदों में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये। यह अधिकारी अपनी देखरेख में अभियुक्तों के विरूद्ध अभियान चलाकर अपराधों की रोकथाम हेतु उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्राधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र में इस अभियान को सफल बनाने हेतु उत्तरदायी होंगे।**

उपरोक्त दिशा-निर्देश आपके मार्गदर्शन के लिए हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने जनपद में आपराधिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अन्य कदम उठाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

मैं चाहूँगा कि ऐसे अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आप स्वयं अपने नेतृत्व में प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करायें। सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को इस सम्बन्ध में सतर्क कर दें कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा शिथिलता न बरते।

भवदीय

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2.पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4.पुलिस महानिरीक्षक एस0टी0एफ0/ए0टी0एस0, उ0प्र0 लखनऊ।
5.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

O/C